सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत मावा।

पीठासीन अधिकारी:– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2017/257 दायरा दिनांक 11.09.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. सूगनाराम पुत्र रामदत्तराम जाति जाट निवासी मावा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1. चुन्नीलाल पुत्र मगनाराम 2. नन्दाराम पुत्र मंगनाराम 3. रामपाल पुत्र मंगनाराम 4. पुसाराम पुत्र मंगनाराम 5. बजरंगलाल पुत्र स्व.भंवरलाल 6. अर्जूनराम पुत्र स्व.भंवरलाल 7. सांवरमल पुत्र हुक्माराम 8. जेठाराम पुत्र हुक्माराम 9. मनीदेवी पुत्री हुक्माराम 10. ग्यारसीदेवी पुत्री हुक्माराम 11. सूरजाराम पुत्र कानाराम 12. पैमाराम पुत्र कानाराम 13. सोहनलाल पुत्र कानाराम 14. केशरदेवी पत्नि बदरीराम 15. शंकरलाल पुत्र बदरीराम 16. हरीप्रसाद पुत्र बदरीराम 17. पवनकुमार पुत्र बदरीराम नाबालिक जरियें संरक्षक माता केशरदेवी 18. गणपतराम पुत्र रामू 19. बजरंग पुत्र गणेशाराम समस्त जाति माली निवासी मावा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 20 पूरणमल पुत्र गोदूराम जाति प्रजापत निवासी मावा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 21. मेनेजर साहब पी.एन.बी. बैक शाखा ललासरी तह. डीडवाना 22. मेनेजर साहब आई.सी.आई.सी.आई. बैक शाखा डीडवाना तह. डीडवाना। 23 श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी बन्टवारा व स्थाईनिषेधाज्ञा हस्ब

धारा 88,53 188 राजस्थान काश्तकारी अधि.

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

उपस्थित–

1. वादी उपस्थित ।
2. प्रतिवादीगण सं0 01, 06, 11, 13, 16, 20 उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांक 29.06.2018

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा मावा की शहरद मे खेत ख.न. 223 रकबा 20 बीघा 09 बिस्वा खेत ख.न. 224 रकबा 49 बीघा 05 बिस्वा खेत ख.न. 225 रकबा 28 बीघा 05 बिस्वा स्थित है। नकल खतौनी सम्वत 2070–2073 पेश है।

उक्त खेत ख.न. 223 रकबा 20 बीघा 09 बिस्वा खेत ख.न. 224 रकबा 49 बीघा 05 बिस्वा खेत ख.न. 225 रकबा 28 बीघा 05 बिस्वा मे से उक्त मौखिक विभाजन से वादी को प्रतिवादी संख्या एक चुन्नीलाल पुत्र मगनाराम ने दिनाकं 23.12.2013 को प्रतिवादी संख्या एक का हिस्सा जो कि मौखिक बन्टवारा के अनुसार खेत ख.न. 225 रकबा 28 बीघा 05 बिस्वा मे आया हुआ था में से 02 बीघा 01 बिस्वा भूमि का बैचाण मौके पर वादी को वास्तविक व भौतिक कब्जा सौफ कर वादी के पक्ष में किया गया।मगर तमाम खेत सामलाती खातेदारी मे दर्ज होने पर बैचाण तीनो खसरो मे से किया गया है जबकि मौके पर वादी को प्रतिवादी संख्या एक चुन्नीलाल ने ख. न. 225 रकबा 28 बीघा 05 बिस्वा में से 02 बीघा 01 बिस्वा का मौके पर वास्तविक व भौतिक कब्जा वादी को सम्भलाया था तब से वादी ख. न. 225 रकबा 28 बीघा 05 बिस्वा में से 02 बीघा 01 बिस्वा पर काबिज व कब्जा काश्त है। नकल बैचाण रजिस्ट्री पेश है।

उक्त बैचाण के पहले खेत ख.न. 223 रकबा 20 बीघा 09 बिस्वा खेत ख.न. 224 रकबा 49 बीघा 05 बिस्वा खेत ख.न. 225 रकबा 28 बीघा 05 बिस्वा के समस्त काश्तकार मौखिक रूप से बन्टवारा कर रखे थे। और उसी बन्टवारा के अनुसार काश्तकारो का कब्जा था।उक्त मौखिक बन्टवारा के अनुसार प्रतिवादी संख्या एक ने अपने बन्ट की जमीन ख.न. 225 रकबा 28 बीघा 05 बिस्वा मे से 02 बीघा 01 बिस्वा का वादी को दिनाकं 23.12.2013 को बैचाण किया गया था।उक्त वादी की जायगा को वादी ने अपने नजरी नक्शे मे मार्क ए. बी सी.डी.से दर्शाया है। उक्त नजरी नक्शा इस वाद का अहम भाग है।

प्रतिवादी संख्या एक ने वादी को खसरा नम्बर 225 रकबा 28 बीघा 05 बिस्वा में से 02 बीघा 01 बिस्वा का कब्जा काश्त मौके पर दिया गया।मगर उपरोक्त खेत सामलाती खातेदारी मे दर्ज होने के कारण उपरोक्त खेतो मे से सामलाती खातेदारी का बैचाण करवाया था जबकि मौके पर सहखातेदारानो के बीच मौखिक बन्टवारा हो चुका था और वादी का उक्त ख. न. 225 रकबा 28 बीघा 05 बिस्वा मे से 02 बीघा 01 बिस्वा जमीन पर बैचाण के समय से कब्जा काश्त है। वादी अपने खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। तथा खेत ख. न. 225 रकबा 28 बीघा 05 बिस्वा में से 02 बीघा 01 बिस्वा भूमि की घोषणा कराने का

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

अधिकारी है। वादी अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने हेतु यह घोषणा खातेदारी का दावा पेश करता है।

वादी एक मजदूर व्यक्ति है। तथा कमाने खाने हेतु बाहर गया होने के कारण उक्त बैचाण रजिस्ट्री का म्युटेशन अपने नाम दर्ज नही करवा सका मगर हाल में वादी अपने गॉव कमा कर अपने गॉव आया और उक्त जमीन को आबादी में परिर्वतन करवाने व उसमें अपना मकान बनाने के लिए पटवारी से सर्म्पक किया तो पता चला कि उक्त जमीन का म्युटेशन वादी के नाम दर्ज नही हुआ है। उक्त कुल खेत की जमीन बाई मिटस एण्ड बाउडन्स से बन्टी हुई नही है। राजस्व रेकर्ड मे सबकी सामलाती खातेदारी में दर्ज है। और इस जमीन मे जो भी बैचाण हुआ है। वह बैचाण सम्भावित हिस्से का हुआ है। वर्तमान मे जमीनो के भाव दिन प्रतिदिन बढ रहे है। जिससे प्रतिवादीगण 01 के मन मे लालच आ गया है। और वे वादी की उक्त बैचाण की जमीन गलत सामलाती खातेदारी की ओट मे वादी के हिस्से व कब्जा की उक्त जमीन किसी अन्य को बैचने के फिराक मे है।इसलिए प्रतिवादीगण संख्या एक को जरियें स्थाई निषेधाज्ञा के रोकना जरूरी है। जिस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश है।

बन्टवारा प्रतिवादी स.01 ता 20 करने से इनकार होने व मामला अचल सम्पति का है। खेत पर वादी का बैचाण के समय से वादी द्वारा पेश नजरी नक्शा के अनुसार खेत ख. न. 225 रकबा 28 बीघा 05 बिस्वा में से 02 बीघा 01 बिस्वा जमीन पर कब्जा काश्त है। जमीन बाई मिटस एण्ड बाउण्डस से बन्टी हुई नही होने से वादी की जमीन की सींव मौके पर कायम करनी जरूरी हो गई है उक्त वादी की जायगा को वादी ने अपने नजरी नक्शे मे मार्क ए. बी सी.डी.से दर्शाया है। उक्त नजरी नक्शा इस वाद का अहम भाग है।प्रतिवादी स. 01 ता 20 सामलाती गलत खातेदारी की ओट मे वादी के कब्जे की जमीन बैचने पर उतारू है। इस लिए वादी अपनी बन्ट व खरीदी हुई जमीन का बन्टवारा कराने हेतु बन्टवारा का दावा पेश करता है।

रामीदेवी पत्नि हुक्माराम व जिनकू पत्नि मगनाराम फौत हो चुकी है जिनके वारिसान पहले से रेकर्ड पर है इसलिए रामीदेवी पत्नि हुक्माराम व जिनकू पत्नि मगनाराम का नाम हटाया जावे।

प्रार्थना वादी है कि

वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण सं 1 ता 20 डिक्री फरमाया जावे तथा मोजा मावा की शहरद मे खेत ख.न. 225 रकबा 28 बीघा 05 बिस्वा में से 02 बीघा 01 बिस्वा जमीन का बन्टवारा बाई मिटस एण्ड बाउन्डस से कर वादी द्वारा बैचाण से खरीदी गई सामलाती जमीन मे से खेत ख.न. 225 रकबा 28 बीघा 05 बिस्वा में से 02 बीघा 01 बिस्वा जमीन जिसको वादी के नजरी नक्शे मे मार्क ए.बी.सी.डी. से दर्शाया गया है।उक्त हिस्सा राजस्व रेकर्ड मे अलग से खातेदारी दिलाने का आदेश

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

फरमावे।तथा उपरोक्त खेतो की खातेदारी में से रामीदेवी पत्नि हुक्माराम व जिनकू पत्नि मगनाराम का नाम हटाया जावे।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 20 के बीच बन्टवारा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस से कर वादी को मौजा मावा की शरहद में खेत ख.न. 225 रकबा 28 बीघा 05 बिस्वा में से 02 बीघा 01 बिस्वा जिसको वादी के नजरी नक्शे मे मार्क ए.बी.सी.डी. से दर्शाया गया है।उक्त हिस्सा अलग से बन्ट मे रखा जावे।

स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी बर खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि वादी के बन्ट मे आने वाली जमीन मोजा मावा की शहरद मे खेत ख.न. 225 रकबा 28 बीघा 05 बिस्वा में से 02 बीघा 01 बिस्वा जमीन जिसको वादी के नजरी नक्शे मे मार्क ए. बी.सी.डी. से दर्शाया गया है।वादी के उक्त हिस्से मे भविष्य मे प्रतिवादीगण सं 1 ता 20 न तो स्वयं दखल करे और न किसी अन्य अपने एजेन्ट से दखल करावे। अन्य अनुतोश बहक वादी हो दिलाया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 23 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

दिनाकं 29.06.2018 को न्याय आपके द्वार केम्प मावा में प्रतिवादी संख्या 02,ता 05 07 ता 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21 ता 23 बावजूद तामील के अनुपस्थित। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही लाई गई।वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01, 06, 11, 13, 16, 20 ने इकबालिया जबाब व सहमति दी।

बहस अधिवक्ता वादी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया व उन पर मनन् किया गया।

अतः पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जबाब व सहमति व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

:—आदेश—:

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा मावा की शहरद मे खेत ख.न. 225 रकबा 28 बीघा 05 बिस्वा में से 02 बीघा 01 बिस्वा जमीन का बन्टवारा बाई मिटस एण्ड बाउन्डस से कर वादी द्वारा बैचाण से खरीदी गई सामलाती जमीन मे से खेत ख.न. 225 रकबा 28 बीघा 05 बिस्वा में से 02 बीघा 01 बिस्वा जमीन जिसको वादी के नजरी नक्शे मे मार्क ए.बी. सी.डी. से दर्शाया गया है।उक्त हिस्सा राजस्व रेकर्ड मे अलग से खातेदारी

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

घोषित की जाती है।तथा उपरोक्त खेतो की खातेदारी में से रामीदेवी पत्नि हुक्माराम व जिनकू पत्नि मगनाराम का नाम हटाया जाता है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 20 के बीच बन्टवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से कर वादी को मौजा मावा की शरहद में खेत ख.न. 225 रकबा 28 बीघा 05 बिस्वा में से 02 बीघा 01 बिस्वा जिसको वादी के नजरी नक्शे मे मार्क ए.बी.सी.डी. से दर्शाया गया है।उक्त हिस्सा अलग से बन्ट मे रखा जाता है।तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।बैक से लिया गया ऋण की खातेदारी पक्षकारान के यथावत रखी जाती है।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **29.06.2018** को <u>कोर्ट केम्प ग्राम</u> **पंचायत** <u>**मावा**</u> में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत मावा
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2018/145** दायरा दिनांक **29.06.2018**

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सूगनाराम पुत्र रामदत्तराम जाति जाट निवासी मावा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)		1. चुन्नीलाल पुत्र मगनाराम 2. नन्दाराम पुत्र मंगनाराम 3. रामपाल पुत्र मंगनाराम 4. पुसाराम पुत्र मंगनाराम 5. बजरंगलाल पुत्र स्व.भंवरलाल 6. अर्जूनराम पुत्र स्व.भंवरलाल 7. सांवरमल पुत्र हुक्माराम 8. जेठाराम पुत्र हुक्माराम 9. मनीदेवी पुत्री हुक्माराम 10. ग्यारसीदेवी पुत्री हुक्माराम 11. सूरजाराम पुत्र कानाराम 12. पैमाराम पुत्र कानाराम 13. सोहनलाल पुत्र कानाराम 14. केशरदेवी पत्नि बदरीराम 15. शंकरलाल पुत्र बदरीराम 16. हरीप्रसाद पुत्र बदरीराम 17. पवनकुमार पुत्र बदरीराम नाबालिक जरियें संरक्षक माता केशरदेवी 18. गणपतराम पुत्र रामू 19. बजरंग पुत्र गणेशाराम समस्त जाति माली निवासी मावा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 20. पूरणमल पुत्र गोदूराम जाति प्रजापत निवासी मावा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 21. मेनेजर साहब पी.एन.बी. बैक शाखा ललासरी तह. डीडवाना 22. मेनेजर साहब आई.सी.आई.सी.आई. बैक शाखा डीडवाना तह. डीडवाना 23. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी बन्टवारा व स्थाईनिषेधाज्ञा हस्ब

धारा 88,53 188 राजस्थान काश्तकारी अधि.

दिनांक 29.06.2018

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री,वादी उपस्थित व प्रतिवादीगण सं0 01, 06, 11, 13, 16, 20 उपस्थित । मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि–

हस्ब राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, मौजा मावा की शहरद मे खेत ख.न. 225 रकबा 28 बीघा 05 बिस्वा में से 02 बीघा 01 बिस्वा जमीन का बन्टवारा बाई मिटस एण्ड बाउन्डस से कर वादी द्वारा बैचाण से खरीदी गई सामलाती जमीन मे से खेत ख.न. 225 रकबा 28 बीघा 05 बिस्वा में से 02 बीघा 01 बिस्वा जमीन जिसको वादी के नजरी नक्शे मे मार्क ए.बी.सी.डी. से दर्शाया गया है।उक्त हिस्सा राजस्व रेकर्ड मे अलग से खातेदारी घोषित की जाती है।तथा उपरोक्त खेतो की खातेदारी में से रामीदेवी पत्नि हुक्माराम व जिनकू पत्नि मगनाराम का नाम हटाया जाता है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 20 के बीच बन्टवारा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस से कर वादी को मौजा मावा की शरहद में खेत ख. न. 225 रकबा 28 बीघा 05 बिस्वा में से 02 बीघा 01 बिस्वा जिसको वादी के नजरी नक्शे मे मार्क ए.बी.सी.डी. से दर्शाया गया है।उक्त हिस्सा अलग से बन्ट मे रखा जाता है।तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो।बैक से लिया गया ऋण की खातेदारी पक्षकारान के यथावत रखी जाती है।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत.................. ..–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **29.06..2018** को जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			थमजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner